

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2677  
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: फसल बीमा संबंधी दावों के भुगतान में विसंगतियां**

**2677. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और अन्य फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत फसल बीमा संबंधी दावा राशि के भुगतान में विसंगतियों और विलंब की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रभावित किसानों की संख्या और कुल लंबित दावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी विसंगतियों के कारणों की पहचान की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को दावों के निपटान में देरी या कमी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जबकि बीमा कंपनियों का लाभ बढ़ रहा है; और

(ङ) क्या सरकार ने बीमा कंपनियों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ङ): प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार, अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा अर्थात् संबंधित राज्य सरकार से बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। हालांकि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावा भुगतान के संबंध में पूर्व में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो मुख्य रूप से (क) सब्सिडी के राज्य सरकार के हिस्से को प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों के गलत/विलंबित प्रस्तुतीकरण के कारण दावों का गैर-भुगतान/विलंबित भुगतान या कम भुगतान (ग) उपज आंकड़ों में विसंगति और परिणामस्वरूप राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

तमिलनाडु में PMFBY के तहत विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान गणना किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	नामांकित आवेदन	गणना किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
	(संख्या में)	(रुपए करोड़ में)		
2022-23	61,37,961	920.65	917.61	3.04
2023-24	54,56,594	763.83	761.57	2.26
2024-25	53,66,966	732.96	680.11	52.85
<b>कुल</b>	<b>1,69,61,521</b>	<b>2,417.43</b>	<b>2,359.28</b>	<b>58.14</b>

फसल बीमा गैर-निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में समय किसानों के लिए जोखिम को कम करने का एक प्रमुख साधन है। यह नोट किया जा सकता है कि बीमा कोई निवेश नहीं है। बीमा का उद्देश्य भौगोलिक और अस्थायी जोखिम प्रसार के लिए है। बीमाकर्ता अच्छे मौसम/वर्षों में प्रीमियम संचय करते हैं और बुरे वर्षों में होने वाले दावों का भुगतान, यदि कोई हो, तो अच्छे वर्षों में की गई बचत से करते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब बीमा कंपनियों ने विभिन्न मौसमों में प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्राप्त प्रीमियम के 100% से अधिक का दावा भुगतान किया है।

सरकार ने पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए एकल बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्ति विशेष किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए केवल एक ही डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** विकसित किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावा भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल को प्रारंभ किया गया है। इसमें सभी दावों के समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग को सुनिश्चित करने के लिए NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ समेकित करना शामिल है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।

- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः ही गणना करके लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से प्रीमियम सब्सिडी देने में विलंब करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से किस्त आधारित दावों का निपटान प्रारंभ किया गया है।
- इसके अलावा, इस योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार लाने हेतु उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ समेकित करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से फसल क्षति एवं नुकसान के निष्पक्ष आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का भी कार्यान्वयन किया गया है:

- यस-टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** का उपयोग रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर क्रमिक रूप से आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें उपज के आकलन में 30% वेटेज यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ सीजन 2024 से सोयाबीन की फसल को भी इसमें शामिल किया गया है।
- विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** : स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु विंड्स की संस्थापना की गई है, जो ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश भी करता है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, अतः बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित सभी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए, योजना के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों में वर्गीकृत शिकायत निवारण तंत्र जैसे जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC) और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशानिर्देशों में उल्लिखित विस्तृत जनादेश दिया गया है ताकि वे शिकायतों की सुनवाई कर सकें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान कर सकें।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक एकल पैन-इंडिया टोल-फ्री नंबर 14447 प्रारंभ किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से लिंक किया गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

विभाग सभी हितधारकों के साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, वन-टू-वन बैठकों के साथ-साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों का समय पर निपटान करने के लिए बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

\*\*\*\*\*